UPBD010034402022

<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) बांदा</u>

विशेष वाद संख्या–18/2023
छेद्दू बनाम जगतपाल

<u>दिनांक: 04.08.2023</u>

पुकारा गया। परिवादी लगातार अनुपस्थित है। पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। परिवादी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित नही है, और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र ही योजित किया गया है। परिवादी की लगातार अनुपस्थिति से यह परिलक्षित होता है कि, वह अपने मुकदमें को अग्रसारित किये जाने हेतु संवेदनशील नही है और उसका यह कृत्य परिवादी के मुकदमें को अग्रसारित किये जाने की अनिच्छा को दर्शित करता है। ऐसी स्थिति में परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद संख्या–18/2023, अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश,बांदा।